राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :—मुसप्र/2017/359 दिनांक :— 11/7/17

उप आवासन आयुक्त (समस्त)
आवासीय अभियंता (समस्त)
राजस्थान आवासन मण्डल,
.... ।

विषयः—राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.4(15) एफ.डी./टैक्स/2014—53, जयपुर दिनांक 14.07.2014, आदेश कमांक प.5/(3)/नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 15.03.2017 एवं आदेश कमांक प.3(1201)/नविवि/3/2012 दिनांक 09.03.2017 की पालना करने बाबत निर्देश।

मण्डल मुख्यालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 06.07.2017 में हुई चर्चानुसार कुछ उप आवासन आयुक्त ने उक्त दोनों राज्य आदेशों को स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। दोनों आदेशों के संबंध में निम्न प्रकार से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :—

1. राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन कमांक एफ.4(15) एफ.डी./टैक्स/2014—53, जयपुर दिनांक 14.07.2014 के बिन्दु संख्या 1 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अजमेर विकास प्राधिकरण एवं स्थानीय निकाय एवं न्यासों व अन्य स्वायत्त संस्थाओं द्वारा आवंटित अचल संपत्ति (आवास/विकित भूमि) के संबंध में निष्पादित अपंजीकृत/अमुद्रांकित मध्यावर्ती दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर मूल आवंटन राशि की 1.5 गुणा राशि लिए जाने की शर्त रियायत प्रदान की गई है। इस छूट के सन्दर्भ में संयुक्त शासन सचिव, प्रथम, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र कमांक प.3 (313) नविवि/3/2001, दिनांक 22.06.2017 द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु रा.आ.मंडल को निर्देशित किया गया। अतः राज्य सरकार के उक्त निर्देशों एवं रियायत के आधार पर प्रकरणों में अन्तिम व्यक्ति के नाम नियमन (नियमितिकरण) किया जायेगा। उप आवासन आयुक्त आवश्यक दस्तावेजों की श्रृंखला (चेन) का सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.07.2014 एवं नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 22.06.2017 की प्रति संलग्न है।

2. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक प.5/(3)/नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 15.03.2017 द्वारा सम्पत्ति पर बकाया लीज राशि को एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत्प्रतिशत छूट दी गई है, जो दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक आवासन मण्डल की समस्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में ली जाने वाली बकाया लीज राशि पर लागू होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक प.3(1201)/नविवि/3/2012 दिनांक 09.03.2017 द्वारा मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2001 से आवंटित ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी आवासों के सम्बन्ध में बकाया राशि पर देय ब्याज व पेनेल्टी की छूट दी गई है। यह छूट दिनांक 31.12.2017 तक समस्त बकाया मूल राशि एक मुश्त जमा कराने पर देय होगी। बकाया राशि के दायरे में ऐसी राशि आयेगी, जिसको निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं होने पर नियमानुसार आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है।

(डॉ0 कुंज बिहारी गुप्ता)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, द्वितीय/तृतीय, राज. आवासन मण्डल जयपुर/जोधपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक